

राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक प.1(4)वित्त/राजस्व/2024

जयपुर, दिनांक-28.10.2024

आज्ञा

राजस्थान लेखा सेवा नियम, 1954 के नियम 31 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर उक्त सेवा के वरिष्ठ सेवा संवर्ग में स्थाई रूप से नियुक्त निम्नांकित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति की तिथि/पद उपलब्धता की तिथि से वर्ष 2024-25 की रिक्तियों के विरुद्ध उक्त नियमों के नियम 28 ए के उप नियम (7) के तहत चयन के फलस्वरूप राजस्थान लेखा सेवा के चयन सेवा संवर्ग में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम/सर्व श्री	प्रवर्ग	रिक्ति की तिथि
1.	शंकर लाल गुप्ता (सेवानिवृत्त)		01.04.2024
2.	रामावतार शर्मा		01.04.2024
3.	चित्रा जोशी		01.04.2024
4.	भारती हरजवानी		01.04.2024
5.	भागीरथ सिंह लखावत		01.04.2024
6.	सीमा कौशल		01.04.2024
7.	जितेन्द्र कुमार जैन		01.04.2024
8.	नाथू राम ढाका		01.04.2024
9.	सीमा यादव		01.04.2024
10.	लोकेन्द्र सिंह		01.04.2024
11.	अंजनी कुमार शर्मा		01.04.2024
12.	धीरज कुमार सोनी		01.04.2024
13.	रतन सिंह सान्दू		01.04.2024
14.	आशापाल मौर्य		01.04.2024
15.	डॉ. कमलेश उपाध्याय		01.04.2024
16.	हरिनारायण मीणा (सेवानिवृत्त)	अजजा	01.04.2024
17.	डॉ. सत्येन्द्र बसवाल	अजा	01.04.2024
18.	रामधन	अजा	01.04.2024
19.	प्रीति वर्मा	अजा	01.04.2024
20.	मंजू देवी	अजजा	01.04.2024
21.	रामकेश मीणा	अजजा	01.04.2024
22.	भंवरलाल चिरानियां	अजा	01.04.2024
23.	ओमप्रकाश बसवाल	अजा	01.04.2024
24.	प्रभुलाल बैरवा	अजा	01.04.2024
25.	रामकरण चन्देल	अजा	01.04.2024
26.	कैलाश चन्द वर्मा	अजा	01.04.2024
27.	ललित कुमार नागरवाल	अजा	01.07.2024
28.	धारूसिंह चौहान	अजा	01.07.2024
29.	मनोज कुमार गरवा	अजा	01.07.2024

[Handwritten signature]

30.	सुनितदेव	अजा	01.08.2024
31.	रतन लाल वर्मा	अजा	01.11.2024
32.	बाबूलाल	अजा	01.01.2025
33.	रामजीलाल	अजा	01.02.2025

पदोन्नत अधिकारियों में से सेवारत अधिकारी अपने वर्तमान पदों को यथाआवश्यकता अस्थाई तौर पर क्रमोन्नत/क्रमावनत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्य करते रहेंगे।

पदोन्नत अधिकारियों के पदोन्नति आदेश उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि से प्रभावी होंगे तथा उक्त तिथि को कार्यग्रहण कर सूचना इस विभाग को प्रेषित करेंगे।

पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे।

आज्ञा से,



(नीलेश शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया उप मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व), राजस्थान, जयपुर।
6. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4/II) विभाग।
9. निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
10. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग।
11. संबंधित विभागाध्यक्ष।
12. संबंधित अधिकारी।
13. निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव